

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुद्धवार, 26 मई, 2010 / ज्येष्ठ 05, 1931 (शक)

संख्या-80

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने से दिनोंक 20.05.2010 को अपराहन 01.25 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनोंक 20.05.2010 अपराहन 01.32 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 26th May 2010/ Jyaistha 05, 1931(Saka)

No. 80

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt. Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Shoaib Iqbal was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from premises of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1325 hours on 20.05.2010.

He was released at 1332 hours on the same date.”

P.N. Mishra
Secretary